ISSN 2348-3857

कोटा में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन (तीन दिन का जनता का शासन)

डॉ. शिवकुमार मिश्रा

प्राध्यापक, इतिहास
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

शोध सारांश

भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में 1942 के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' की तीव्रता और विस्तार ने भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति की पृष्ठभूमि तैयार की। अगस्त 1942 को प्रारम्भ हुए इस आन्दोलन में उत्तर प्रदेश के बलिया बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक एवं महाराष्ट्र में सतारा के समान राजस्थान के कोटा में जनता ने शासन अपने हाथों में ले लिया था। कोटा में इस आन्दोलन में विद्यार्थियों, महिलाओं, व्यापारियों, शिक्षकों, पत्रकारों आदि ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कोटा में इस आन्दोलन को प्रारम्भ करने वालों में हर्बट कॉलेज (वर्तमान राजकीय महाविद्यालय, कोटा) के छात्र प्रमुख थे। प्रजा मण्डल के नेताओं में शम्भुदयाल सक्सेना, हीरालाल जैन, बेनीमाधव, पं. अभिन्न हरि आदि ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। आन्दोलन की तीव्रता बढ़ने पर पुलिस ने 13 एवं 14 अगस्त को जनता पर लाठी चार्ज एवं गोली चलाकर प्रहार किया। जनता ने कोतवाली पर अधिकार कर तिरंगा फहराया। 16, 17 एवं 18 अगस्त को कोतवाली पर जनता का पूर्ण अधिकार रहा। राजनीतिक बन्दियों की रिहाई करने, पुलिस के अत्याचार की जाँच करने एवं दोषियों को दण्ड देने पर ही आन्दोलन समाप्त हुआ।

अगस्त 1942 में शुरु हुआ 'भारत छोड़ो आंदोलन' भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का अंतिम बड़ा प्रयास था। इस आंदोलन की तीव्रता एवं विस्तार ने भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार की। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 को सूर्योदय से पूर्व ही गाँधीजी एवं अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन के संचालन की योजना बनाने से पूर्व ही गाँधीजी एवं अन्य नेताओं के जेल में बंद होने से यह आंदोलन जनता ने स्वप्रेरणा से चलाया। स्वस्फूर्त इस जन आंदोलन में विद्यार्थियों, किसानों, महिलाओं एवं मध्यमवर्ग के लोगों ने बड़ी सक्रियता से भाग लिया। स्थान-स्थान पर प्रदर्शन हुए एवं जुलुस निकाले गए। जनता ने ब्रिटिश शासन के प्रतीक रेलवे स्टेशन, डाकखाने एवं पुलिस थानों को निशाना बनाते हुए नुकसान पहुँचाया। मुंबई, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, मद्रास आदि इस आंदोलन के प्रमुख केन्द थे। उत्तर प्रदेश के बलिया, बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक एवं महाराष्ट्र के सतारा में ब्रिटिश शासन समाप्त कर समानांतर सरकार स्थापित की गयी।

राजस्थान के कई हिस्सों में इस समय अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आन्दोलन हुआ। राजस्थान में कोटा ऐसा स्थान था जहाँ जनता ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कोतवाली पर अधिकार करते हुए शहरपनाह पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहाँ तीन दिन तक जनता का शासन रहा। कोटा में इस समय प्रजा प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध थी। अधिकारियों द्वारा प्रजा का उत्पीड़न किया जाता था। 1942 के भारत छोडो आंदोलन में कोटा में प्रजामण्डल के नेताओं में शंभूदयाल सक्सेना, हीरालाल जैन, बेनी माधव, पंडित अभिन्न हरि, विमल कुमार कंजोलिया आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक में महात्मा गाँधी के आह्वान पर आयोजित कॉग्रेस के अधिवेशन में कोटा से भाग लेने वाले पंडित अभिन्न हरि थे। कोटा में 1942 के भारत छोडो आंदोलन का प्रारंभ करने वालों में हरबर्ट कॉलेज (वर्तमान राजकीय महाविद्यालय, नयापुरा) के छात्र-छात्राएँ प्रमुख थे। गांधीजी की गिरफ्तारी की खबर सुनकर विद्यार्थियों एवं युवाओं में आक्रोश था। हरबर्ट कॉलेज के छात्रसंघ के अध्यक्ष बृजकिशोर

ISSN 2348-3857

मेहरा के नेतृत्व में 10 अगस्त 1942 को हरबर्ट कॉलेज में छात्र एकत्रित हुए और कॉलेज-स्कूल बंद करवाते हुए एक जुलुस के रूप में शहर की प्रमुख सडकों से होते हुए बृजविलास बाग पहुँचे।[1] मार्ग में जोशीले नारे 'अंग्रेजों भारत छोडो' एवं 'करो या मरो' लगाते रहे। स्कूलों के कई छात्र भी इस जुलुस में शामिल हो गये। जुलुस बृजविलास बाग में एक जनसभा में बदल गया। इस सभा को प्रजामण्डल के शंभूदयाल सक्सेना, हीरालाल जैन एवं बेनीमाधव वकील ने संबोधित किया। शंभूदयाल सक्सेना कोटा नगरपालिका के अध्यक्ष थे।

एक सप्ताह तक इसी प्रकार के प्रदर्शन एवं सभाएँ होती रही, जिनमें जनता ने खुलकर भाग लिया। 11 अगस्त, 1942 को महारानी स्कूल की छात्राओं ने स्कूल बन्द करवा दिया। कुसुम गुप्ता के नेतृत्व में छात्राओं ने छात्रों के साथ मिलकर एक जुलूस निकाला। इसमें उमा शर्मा, पुष्पा, कुसुम गुप्ता, एवं कमला कुसुम ने सक्रियता दिखाई। महारानी स्कूल की अध्यापिका रामप्यारी शास्त्री महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करती रहीं। 12-13 अगस्त को निकले जुलुस में लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रजामण्डल के नेताओं एवं महावीर दल के सदस्यों ने सभाओं एवं कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आंदोलन को गति प्रदान की।[2]

14 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कोटा पहुँचने वाला था। शम्भूदयाल एवं वेणीमाधव को कोतवाली बुलाकर कहा गया कि एक दिन के लिए कार्यक्रम स्थगित कर दें। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि यह विद्यार्थियों का आंदोलन है, आप उनसे बात करें, हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते।[3] कोटा रियासत के प्रधानमंत्री (दीवान) हरिलाल गोसालिया एवं आई.जी. संतसिंह ने लोगों को इस आंदोलन में भाग न लेने की चेतावनी दी और उन्हें धमकाया। इस चेतावनी का असर न देख 13 अगस्त 1942 को शंभूदयाल सक्सेना, बेनीमाधव एवं जोरावर सिंह जैसे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।[4] प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से जनता आक्रोशित हो गई। लोगों की भीड़ कोतवाली के सामने एकत्र हो गयी। मुंबई से जब पंडित अभिन्नहरि लौटे तब उन्हें जानकारी मिली कि उनके कुछ साथियों को रामपुरा कोतवाली मे बंदी बना लिया गया है। वे 'लोक सेवक' पत्र के लिये खबर लेने के बहाने कोतवाली पहुँचे तब इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया।[5] कोतवाली के सामने लोगों की भीड में बेनीमाधव की पत्नी रामकुमारी, छोटा भाई आनंद कश्यप, नंदलाल सेन्डो, उमा (इतिहासकार डॉ. मथुरालाल की पुत्री) आदि प्रमुख लोग थे। भीड में आगे रामकुमारी एवं नंदलाल सेन्डो थे। रामकुमारी एवं उनके साथी बेनीमाधव को फूल-मालाएँ पहनाने के लिये खडे थे। कोतवाली का दरवाजा बंद था, इसलिए वे अन्दर नहीं जा सके। आई.जी. संतसिंह ने राजकुमारी को हटने के लिए कहा। इस पर उन्होंने संत सिंह को धक्का दे दिया। पुलिसवालों को लगा कि राजकुमारी ने आई.जी. को थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें नंदलाल सेन्डो, विष्णु प्रसाद शर्मा, गोपालदत्त आदि कई लोगों को चोटें आई। पुलिस ने धारा 144 लगाकर सभा एवं गोष्ठी करने पर पाबंदी लगा दी।[6]

14 अगस्त 1942 को नगरवासियों ने अपने नेताओं के सम्मान में शहर में एक जुलुस निकाला। वे बृजविलास बाग से कोतवाली पहुँचे। 14 अगस्त को प्रात: से ही लोग बहुत बड़ी संख्या में कोतवाली के सामने एकत्र होने लगे थे।[7] लोग ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते रहे। भीड़ में लोगों के हाथ में पत्थर एवं लाठियाँ थीं। उग्र भीड़ पर पुलिस के सी. आई. मुनव्वर बेग मिर्जा ने फायरिंग कर दी।[8] पुलिस की फायरिंग एवं लाठी चार्ज से कई लोग घायल हुए। श्यामनारायण सक्सेना एवं बुद्धिप्रकाश को छर्रे लगे। घायल लोंगों को आंदोलनकारियों ने अस्पताल पहुँचाया। पुलिस के लाठीचार्ज एवं फायरिंग से जनता और भड़क गई। लोग पुलिस कोतवाली पर पथराव करने लगे। मिर्जा को बाहर लाने की मांग करने लगी। भीड़ ने मिट्टी के तेल से भीगे कपड़े के टुकड़े कोतवाली पर फेंके। भीड़ ने कोतवाली की खिड़की में आग लगा दी। पुलिस कोतवाली के पीछे खाली बैरकों में छिप गई। जनता ने कोतवाली पर अधिकार कर लिया।[9] कोतवाली पर तिरंगा झंड़ा फहराया गया। कोतवाली का नाम 'स्वराज्य भवन' रखा गया।[10] कोतवाली के मालखाने पर अधिकार किया गया। बैरक में बंद पुलिसवालों की रसद सामग्री बंद कर दी गयी। यातायात व्यवस्था को नुकसान पहुँचाया गया एवं टेलीफोन के तार काट दिए गए। बंद पुलिस को छुडाने के लिए दीमस (दीसा) से ब्रिटिश सेना के आने की संभावना को देखते हुए जनता ने शहर के दरवाजों को बंद कर दिया। परकोटों पर रखी हुई तोपों को अपने अधिकार में ले लिया। परकोटों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महावीर दल के सदस्यों के पास थी।

जनता अध्यापक शिवप्रसाद श्रीवास्तव को आई.जी. एवं अध्यापक गुलाबचंद्र शर्मा[11] को शहर कोतवाल कहने लगी। जनता की ओर से इस आंदोलन में इस समय शिवप्रसाद श्रीवास्तव, गुलाबचंद्र शर्मा, उस्ताद चौथमल, लक्ष्मीनारायण, पुष्पचंद्र जैन, पूरणजी, रमनेजी, कुमारी कुन्ती, लीलाधर, श्यामलाल सक्सेना, महेश नरसिंह लाल, बुद्धि प्रकाश आदि ने सक्रियता से भाग लिया।

16 अगस्त 1942 को जनता के प्रतिनिधियों की ओर से निम्न प्रमुख मांगें की गई12- (1) प्रधानमंत्री हरिलाल गोसालिया एवं आई.जी. संतसिंह को बर्खास्त किया जावे। (2) राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाये, (3) 13 एवं 14 अगस्त की लाठीचार्ज, फायरिंग की घटनाओं की जाँच की जाये (4) उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। 16 अगस्त 1942 को आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए कोटा महाराव भीमसिंह ने कोटा रियासत के पूर्व प्रधानमंत्री (दीवान) औंकारसिंह पलायथा को जनता के प्रतिनिधियों से बात करने को कहा।

जनप्रतिनिधियों की ओर से गुलाबचन्द्र शर्मा ने अपनी बात औंकारसिंह पलायथा के समक्ष रखी। औंकारसिंह पलायथा ने महाराव से बात कर बंदी बनाए गए नेताओं को छोडने, 13-14 अगस्त की घटनाओं की जाँच करने एवं दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने का आश्वासन दिया।[13] जज टोपासा एवं भगतजी ने गाँधीभवन के झरोखे से कोटा दरबार की ओर से घोषणा की कि गोसालिया साहब को भेज दिया जायेगा, आई.जी. को भी बदल दिया जायेगा। आपके नेताओं को भी छोड़ दिया जायेगा। आपको किसी भी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जायेगा। आप लोग कोतवाली को हमारे अधिकार में पुन: देकर हमारे सिपाहियों को छोड़ दो।[14] लोगों ने कोतवाली के भीतर छिपी पुलिस को औंकारसिंह, जज टोपासा, भगतजी, धुर्तजी प्रसाद की उपस्थिति में बाहर निकलने दिया।[15]

18 अगस्त 1942 को कोतवाली का प्रशासन पुन: पुलिस महकमे को सौंप दिया गया। कोतवाली के प्रशासन का चार्ज थाना प्रभारी मगनलाल को सौंप दिया गया।[16] यह वही कोतवाल था जिसके हाथ में झण्डा देकर आंदोलनकारी घूसा मार कर महात्मा गाँधी की जय बुलवाते रहे। इस प्रकार 14, 15, 16 अगस्त को कोतवाली में पुलिसवालों को बंदी बनाकर रखा गया। 16, 17, 18 अगस्त को कोतवाली पर पूर्ण रूप से जनता का अधिकार रहा। कोतवाली का प्रभार संभालने के बाद भी पुलिस भयभीत थी। गुलाबचंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक महीने तक सिपाहियों की पहरेदारी की गयी।

महात्मा गाँधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की बात के बाद आंदोलन की गतिविधियों में परिवर्तन आया। 18 अगस्त को जनप्रतिनिधियों ने जेल में बंद अपने नेताओं से भेंट की और भूख हड़ताल तोड़ने को कहा। जेल में बंदी नेताओं की सलाह पर उत्तरदायी शासन न मिलने तक आंदोलन जारी करने का निर्णय लिया गया। इसी समय से शंभूदयाल सक्सेना को 'हाड़ौती का गाँधी' कहा जाने लगा। नाथूलाल ने अपना नाम विमल कुमार कंजोलिया रख लिखा।

कोटा राज्य प्रजामण्डल ने 23 अगस्त 1942 को सत्याग्रह शुरू कर दिया, जिसमें प्रजामण्डल की ओर से मांगरोल के मोतीलाल जैन को प्रथम डिक्टेटर बनाया गया।[17] 23 अगस्त को जुलुस निकालने के बाद कोतवाली के सामने हुई सभा में मोतीलाल जैन ने अपने भाषण में पुलिस के अत्याचारों एवं अफसरों के झूठे आश्वासन के लिए उनका विरोध किया। 24 अगस्त 1942 को प्रधानमंत्री हरिलाल गोसालिया ने कोटा राजपत्र के विशेषांक में महाराव भीमसिंह की ओर से घोषणा की कि 13 एवं 14 अगस्त 1942 के दिन पुलिस द्वारा हुए लाठी प्रहार एवं बन्दूक चलाने की घटना की जाँच की जायेगी एवं शीघ्र वैधानिक सुधार जारी किये जायेंगे।[18] चारों प्रमुख राजनैतिक बंदियों को 24 अगस्त 1942 को रिहा कर दिया गया। इनकी रिहाई पर शहर में इनका जुलुस निकाला गया।

युवाओं द्वारा 1 सितम्बर 1942 को एक बुलेटिन को साइक्लोस्टाइल करवाकर उसे स्थान-स्थान पर बाँटा गया। इस बुलेटिन में महात्मा गाँधी के आमरण अनशन के संबंध में चिंता प्रकट की गयी, मौलाना आजाद और जवाहर लाल नेहरू को कैद कर छुपा रखने, बनारस में मदन मोहन मालवीय की पुलिस द्वारा पिटाई करने, अहमदाबाद, दिल्ली, नागपुर, पूना, इलाहाबाद औरंगाबाद, बैतूल, त्रिवेन्द्रम, ढाका आदि स्थानों की घटनाओं का वर्णन था। बुलेटिन में 6 सितम्बर को देशभर में दमन विरोधी दिवस मनाने की अपील की गयी थी।[19] कोटा में देश की गतिविधियों के प्रभाव को देखते हुए कोटा के शासक ने 9 सितम्बर 1942 को स्टेट कौंसिल के आदेश द्वारा जुलूस निकालने, सभा, प्रदर्शन आदि करने पर प्रतिबंध लगा दिया।[20]

गोसालिया ने हाड़ौती एवं टोंक के पॉलिटिकल एजेण्ट से गुप्त वार्ता कर बताया कि महाराव की बागियों के प्रति सहानुभूति है। जनता के विरोध एवं कोटा की स्थिति को देखते हुए 21 सितम्बर 1942 को राज्य द्वारा गोसालिया एवं संतसिंह को कोटा राज्य की सेवा से बर्खास्त कर निर्वासित कर दिया गया।[21] मुनव्वर बेग मिर्ज़ा को कोटा से इकलेरा स्थानान्तरित कर दिया गया, जिसे गोलीकाण्ड के लिए जिम्मेदार माना गया था। जनता ने इन्हें काले झण्डे दिखाकर विदा किया।

भारत छोड़ो आंदोलन के समय कोटा के महावीर दल, हाड़ौती विद्यार्थी संघ,[22] आज़ाद हिन्द दल आदि के युवाओं ने सक्रियता दिखाई। आंदोलन का प्रभाव कोटा शहर के आस-पास

बाराँ, मांगरोल, छीपा-बड़ौद, रामगंजमण्डी आदि स्थानों पर पड़ा। यहाँ हड़ताल हुई, प्रदर्शन हुए एवं जुलुस निकाले गए। कोटा में इस समय पत्रकार, वकील, शिक्षक, छात्र-छात्राओं आदि ने निर्भीक होकर आंदोलन में भाग लिया। हरबर्ट कालेज के छात्रों को हिन्दी के प्राध्यापक हरिराम तिवारी से देशभक्ति की प्रेरणा मिलती रही। रामप्यारी शास्त्री ने छात्राओं को प्रेरित किया जिस कारण उनकी नौकरी खतरे में पड़ी। बृजकिशोर मेहरा, नन्दलाल जैसे कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। राजनैतिक बंदियों की रिहाई, प्रधानमंत्री गोसालिया एवं आई.जी. संतसिंह की बर्खास्तगी के बाद उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आंदोलन चलता रहा।

संदर्भ सूची

1. राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, कोटा रिकार्ड, फा. नं. 26 (गोपनीय) पाक्षिक रिपोर्ट, 15 अगस्त 1942
2. लोकसेवक, 17 अगस्त 1942
3. खड़गावत, महेन्द्र, (प्र.सं.), ग्रन्थांक-44, राजस्थान स्वाधीनता संग्राम के साक्षी (स्वतंत्रता सेनानी के संस्मरणों पर आधारित), राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, 2007, पृ. 33
4. लोकसेवक, 17 अगस्त 1942, 31 अगस्त 1942
5. लोकसेवक, 31 अगस्त 1942
6. खडगावत, पूर्वोक्त, पृ. 34
7. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, कोटा रिकार्ड, फा.नं. 26 (गोपनीय) पाक्षिक रिपोर्ट, 15 अगस्त 1942
8. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, कोटा प्रजामंडल (सीक्रेट) फा.नं. 47
9. खडगावत, पूर्वोक्त, पृ. 41
10. लोकसेवक, 17 दिसम्बर 1945
11. गुलाबचंद्र शर्मा महावीर दल के सक्रिय कार्यकर्त्ता थे।
12. भारद्धाज, शांति (सं.), हाड़ौती का स्वतंत्रता संग्राम (1857-1947), राजस्थान विद्यापीठ, हाड़ौती शोध प्रतिष्ठान, कोटा 1973, पृ. 150
13. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, कोटा रिकोर्ड, फा.नं. 26 (गोपनीय) पाक्षिक रिपोर्ट, 31 अगस्त 1942
14. खडगावत, पूर्वोक्त, पृ. 43
15. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, कोटा रिकॉर्ड, फा.नं. 26 (गोपनीय) पाक्षिक रिपोर्ट, 31 अगस्त 1942
16. कंजोलिया विमलकुमार, आजादी और उसके बाद, पावन प्रकाशन, कोटा, 1993, पृ. 71
17. कोटा राज्य प्रजामंडल पत्रिका, 23 अगस्त 1942, (श्रीमति कमला स्वाधीन का संग्रह)
18. कोटा राजपत्र विशेषांक, 24 अगस्त, 1942
19. आजाद हिन्दुस्तान बुलेटिन, 1 सितम्बर 1942, श्रीमति कमला स्वाधीन का संग्रह
20. राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, कोटा रिकार्ड, फा.नं. 26 (गोपनीय), महकमा खास ऑफिस रिकार्ड फा.नं. 6/791, 9 सितम्बर 1942, स्टेट कौंसिल पत्र 9 सितम्बर 1942
21. राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, कोटा रिकार्ड, फा. नं. 26 (गोपनीय), पाक्षिक रिपोर्ट, 30 सितम्बर, 1942
22. हाड़ौती विद्यार्थी संघ का गठन नाथूलाल जैन ने किया था। हाड़ौती विद्यार्थी संघ ने 1 सितम्बर 1942 से 8 सितम्बर 1942 तक गौशाला में व्याख्यान माला आयोजित की, हाड़ौती विद्यार्थी संघ का उत्तरदायी शासन व्याख्यानमाला का कार्यक्रम पत्रक, श्रीमति कमला स्वाधीन का संग्रह